BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 54/2025

IN THE MATTER OF:

Petitioner Sobran Yadav

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh& Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of Madhya Pradesh State Wetland Authority in compliance of Order dated 03.02.2025		02-11
2.	Detailed list of status of Ground Truthing and Demarcation	R/1	06-08
3.	Copies of Letter dated 13.02.2026	R/2 (Colly.)	09-16

Place: Bhopal
Date: 11.03.2026

Parul

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for State Wetland Authority
Ph. No.: (+91)-80859-77111;
Email:parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 54/2025

IN THE MATTER OF:

Petitioner Sobran Yadav

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MADHYA PRADESH STATE WETLAND AUTHORITY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.02.2025

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the issue raised in the present Original Application is the protection of water body namely Mahendra Sagar Talab admeasuring approximately 102.738 hectares in the district of Tikamgarh, which is also one of the major sources of potable water for the residents of the city of Tikamgarh.

2. That this Hon'ble Tribunal vide Order dated 03.02.2026 directed the State Wetland Authority to file an Action Taken Report. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the relevant extract of Order dated 03.02.2026 is reproduced hereinbelow :

"We reiterate our previous order and direct the authorities concerned to protect the water bodies, identify and demarcate and protect the area by means of wire, pillars/munnars and to ensure that there should not be any encroachment within wetland and encroachment, if any, must be removed within a time frame following due process of law. It is also to be ensured that there should not be any discharge of untreated water into the water bodies and in case any violation is found, the State PCB is directed to take necessary action in accordance with law, in addition to prosecution and realization of Environmental/damage as per parameters laid down by the rules. Further action taken report be filed within two weeks by State Wetland Authority, Collector Tikamgarh, CMO Tikamgarh."

3. That, the Wetland Atlas 2021 prepared by the ISRO, the State of Madhya Pradesh comprises a total of 13,565 (More than 2.25 ha. area) wetlands. In compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 11.12.2024 in W.P. (C) No. 304/2018 (Anand Arya vs. Union of India) and in accordance with the Office Memorandum dated 20.12.2024 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC),

Government of India, it is respectfully submitted that as on 09.03.2026, ground truthing activities have been duly completed for 13,509 wetlands, and boundary demarcation has been successfully carried out for 13,314 wetlands. The remaining work, pertaining to 56 wetlands for ground truthing and 251 wetlands for demarcation is presently under active progress. That a detailed list of status of Ground Truthing and Demarcation is marked and annexed herewith as **Annexure R/1**.

4. Furthermore, the State Wetland Authority vide letters dated 13.02.2026 addressed to all Collectors, CO Gram Panchayat, District Forest Officers, and Commissioner of Municipal Corporations situated within the state of Madhya Pradesh, has duly directed to o undertake the necessary action for the installation of boundary pillars around the wetlands demarcated in the aforesaid manner within your district, and to ensure the removal of any encroachments within the wetland area in accordance with the applicable rules within the stipulated time limit. Further, to furnish an updated status report to this office after carrying out the aforesaid actions. The copies of

Letter dated 13.02.2026 is marked and annexed herewith as **Annexure R/2 (Colly.)**

5. Hence, the present Action Taken Report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present Action Taken Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by the State Wetland Authority.

Place: Bhopal
Date: 11.03.2026

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for State Wetland Authority
Ph. No.: (+91)-80859-77111;
Email:parul.bhadoria04@gmail.com

Madhya Pradesh State Wetland Authority, EPCO Date: 09-03-2026

Annexure R/1

District wise Wetlands Ground Truthing and Demarcation Status

S.No.	Districts	Total Wetlands (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands (Revenue)	Total No. of Wetlands (Forest)	Total No. of Wetlands Ground Truthed (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands Demarcated (Revenue+Forest)
1	Agar Malwa	105	104	1	105	105
2	Alirajpur	202	199	3	202	202
3	Anuppur	171	169	2	171	171
4	Ashoknagar	206	194	12	206	206
5	Balaghat	988	961	27	986	985
6	Barwani	144	131	13	144	144
7	Betul	320	313	7	320	320
8	Bhind	24	24	0	17	14
9	Bhopal	95	93	2	93	91
10	Burhanpur	37	28	9	37	36
11	Chhatarpur	426	417	9	426	426
12	Chhindwara	248	239	9	248	248
13	Damoh	440	412	28	439	437
14	Datia	28	28	0	27	27
15	Dewas	184	174	10	184	184
16	Dhar	705	705	0	705	704
17	Dindori	110	107	3	110	110
18	Guna	212	200	12	210	210
19	Gwalior	38	38	0	38	38
20	Harda	22	22	0	22	22
21	Indore	304	301	3	304	304
22	Jabalpur	317	316	1	317	317
23	Jhabua	500	486	14	500	500

Madhya Pradesh State Wetland Authority, EPCO **Date: 09-03-2026**

District wise Wetlands Ground Truthing and Demarcation Status

S.No.	Districts	Total Wetlands (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands (Revenue)	Total No. of Wetlands (Forest)	Total No. of Wetlands Ground Truthed (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands Demarcated (Revenue+Forest)
24	Katni	477	475	2	477	477
25	Khandwa	84	75	9	82	81
26	Khargone	249	218	31	249	249
27	Maihar	229	229	0	229	229
28	Mandla	207	195	12	203	196
29	Mandsaur	489	478	11	488	488
30	Mauganj	134	134	0	134	134
31	Morena	24	23	1	24	24
32	Narmadapuram	115	94	21	115	115
33	Narsinghpur	78	76	2	78	78
34	Neemuch	274	266	8	274	274
35	Niwari	32	29	3	32	32
36	Pandhurna	35	34	1	35	35
37	Panna	360	324	36	360	360
38	Raisen	225	202	23	225	225
39	Rajgarh	289	285	4	289	289
40	Ratlam	432	432	0	432	432
41	Rewa	317	317	0	317	317
42	Sagar	398	354	44	383	383
43	Satna	408	405	3	408	408
44	Sehore	209	204	5	209	209
45	Seoni	463	435	28	463	463
46	Shahdol	336	335	1	336	336
47	Shajapur	124	124	0	124	124

Madhya Pradesh State Wetland Authority, EPCO **Date: 09-03-2026**

District wise Wetlands Ground Truthing and Demarcation Status

S.No.	Districts	Total Wetlands (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands (Revenue)	Total No. of Wetlands (Forest)	Total No. of Wetlands Ground Truthed (Revenue+Forest)	Total No. of Wetlands Demarcated (Revenue+Forest)
48	Sheopur	82	66	16	82	82
49	Shivpuri	272	245	27	267	168
50	Sidhi	220	218	2	209	131
51	Singrauli	255	239	16	255	255
52	Tikamgarh	277	239	38	277	277
53	Ujjain	231	231	0	231	231
54	Umaria	162	157	5	159	159
55	Vidisha	252	244	8	252	252
	Total	**13565**	**13043**	**522**	**13509**	**13314**

- Ground Truthing and Demarcation Completed
- Demarcation Remaining
- Ground Truthing and Demarcation Both Remaining

Annexure R/2 (Colly.)

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970

पत्र क्रमांक:I/813782/2026
दिनांक:13-02-2026

प्रति,

समस्त आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी
समस्त नगर पालिक निगम/नगर पालिका/ नगर परिषद
मध्यप्रदेश

विषय- माननीय एनजीटी सेंट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक **54/20225** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के संबंध में ।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), सेंट्रल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक **54/2025** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य) में दिनांक **03.02.2026** को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में **SAC-ISRO** द्वारा तैयार "वेटलैंड एटलस" के आधार पर प्रदेश में **2.25** हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल **13,565** वेटलैंड्स का जमीनी सत्यापन एवं सीमांकन कार्य जिलों के नामांकित अधिकारियों (पटवारी, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों) के माध्यम से संपादित किया गया है तथा संबंधित अभिलेख मोबाइल ऐप में अपलोड किए गये हैं। उक्त संबंध में जिलेवार डेटाबेस **https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx** पर उपलब्ध है।

माननीय एनजीटी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के बिन्दु क्रमांक **5** एवं **7** के अनुसार, उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु उनके चारों ओर सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) स्थापित किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वेटलैंड क्षेत्र के भीतर कोई अतिक्रमण न हो। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में आपके जिले में उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के चारों ओर बाउंड्री पिलर स्थापित करने तथा वेटलैंड क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Deepak Arya
Date: 13-02-2026
15:28:52

Deepak Arya
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

पृ. क्र.I/813782/2026 दिनांक:13-02-2026

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मंत्रालय भवन,भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
5. अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
7. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।

सदस्य सचिव

राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970

पत्र क्रमांक:I/813776/2026
दिनांक:13-02-2026

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी,
समस्त वन मण्डल,
वन विभाग- मध्यप्रदेश

विषय- माननीय एनजीटी सेंट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक **54/20225** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के संबंध में ।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), सेंट्रल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक **54/2025** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य) में दिनांक **03.02.2026** को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में **SAC-ISRO** द्वारा तैयार "वेटलैंड एटलस" के आधार पर प्रदेश में **2.25** हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल **13,565** वेटलैंड्स का जमीनी सत्यापन एवं सीमांकन कार्य जिलों के नामांकित अधिकारियों (पटवारी, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों) के माध्यम से संपादित किया गया है तथा संबंधित अभिलेख मोबाइल ऐप में अपलोड किए गये हैं। उक्त संबंध में जिलेवार डेटाबेस **https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx** पर उपलब्ध है।

माननीय एनजीटी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के बिन्दु क्रमांक **5** एवं **7** के अनुसार, उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु उनके चारों ओर सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) स्थापित किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वेटलैंड क्षेत्र के भीतर कोई अतिक्रमण न हो। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में आपके जिले में उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के चारों ओर बाउंड्री पिलर स्थापित करने तथा वेटलैंड क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Deepak Arya
Date: 13.02.2026
15:27:50

Deepak Arya
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

पृ. क्र.**I/813776/2026** दिनांक:**13-02-2026**

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मंत्रालय भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
5. अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
7. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।

सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970

पत्र क्रमांक:I/813758/2026
दिनांक:13-02-2026

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय- माननीय एनजीटी सेंट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक **54/20225** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के संबंध में ।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), सेंट्रल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक **54/2025** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य) में दिनांक **03.02.2026** को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में **SAC-ISRO** द्वारा तैयार "वेटलैंड एटलस" के आधार पर प्रदेश में **2.25** हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल **13,565** वेटलैंड्स का जमीनी सत्यापन एवं सीमांकन कार्य जिलों के नामांकित अधिकारियों (पटवारी, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों) के माध्यम से संपादित किया गया है तथा संबंधित अभिलेख मोबाइल ऐप में अपलोड किए गये हैं। उक्त संबंध में जिलेवार डेटाबेस **https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx** पर उपलब्ध है।

माननीय एनजीटी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के बिन्दु क्रमांक **5** एवं **7** के अनुसार, उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु उनके चारों ओर सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) स्थापित किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वेटलैंड क्षेत्र के भीतर कोई अतिक्रमण न हो। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में आपके जिले में उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के चारों ओर बाउंड्री पिलर स्थापित करने तथा वेटलैंड क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न - उपरोक्तानुसार</u>

Digitally signed by
Deepak Arya
Date: 13-02-2026
13:24:32

Deepak Arya
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

पृ. क्र.**I/813758/2026** दिनांक:**13-02-2026**
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मंत्रालय भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
5. अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
6. वन मंडलाधिकारी, समस्त मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, समस्त मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका/ नगर परिषद मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, **पर्यावरण विभाग**)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970

पत्र क्रमांक:I/813766/2026
दिनांक13-02-2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वेटलैंड संरक्षण समिति
मध्यप्रदेश

विषय- माननीय एनजीटी सेंट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक **54/20225** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के संबंध में ।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), सेंट्रल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक **54/2025** (सोबरन यादव विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य) में दिनांक **03.02.2026** को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में **SAC-ISRO** द्वारा तैयार "वेटलैंड एटलस" के आधार पर प्रदेश में **2.25** हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल **13,565** वेटलैंड्स का जमीनी सत्यापन एवं सीमांकन कार्य जिलों के नामांकित अधिकारियों (पटवारी, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों) के माध्यम से संपादित किया गया है तथा संबंधित अभिलेख मोबाइल ऐप में अपलोड किए गये हैं। उक्त संबंध में जिलेवार डेटाबेस **https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx** पर उपलब्ध है।

माननीय एनजीटी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक **03.02.2026** के बिन्दु क्रमांक **5** एवं **7** के अनुसार, उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु उनके चारों ओर सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) स्थापित किया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वेटलैंड क्षेत्र के भीतर कोई अतिक्रमण न हो। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में आपके जिले में उपर्युक्तानुसार सीमांकित वेटलैंड्स के चारों ओर बाउंड्री पिलर स्थापित करने तथा वेटलैंड क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

Digitally signed by Deepak Arya
Date: 13-02-2026 15:26:36

Deepak Arya
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

पृ. क्र.**I/813766/2026** दिनांक:**13-02-2026**

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मंत्रालय भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।

2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
5. अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. वन मंडलाधिकारी, समस्त मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, समस्त मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका/ नगर परिषद मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण